Journal of Socio-Educational & Cultural Research, Vol. 2, No. 5, July-December, 2016 ISSN : 2394-2878

जनपद अंबेडकर नगर के प्राथमिक विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन योजना के प्रति विभिन्न वर्ग के शिक्षकों एवं अभिभावकों की अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन

डॉ0 नागेन्द्र कुमार*

प्राथमिक शिक्षा सभी वर्गों के बच्चों को उपलब्ध हो यह वर्तमान आवश्यकता ही नहीं बल्कि संवैधानिक प्रतिबद्धता भी है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 45 (राज्य के नीति निर्देशक तव) के अन्तर्गत स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया है कि संविधान के लागू होने के समय से 10 वर्षों के अन्दर 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करायी जाए। इसी कड़ी मे 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 पारित किया गया तथा प्राथमिक शिक्षा को मूल अधिकारों की सूची से जोड़ा गया तथा प्रत्येक 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाने का निर्देश दिया गया। इन संवैधानिक दिशा–निर्देशों एवं प्राथमिक शिक्षा के महत्व को ध्यान में रखते हुए भारतीय संसद ने ''बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम अगस्त 04, 2009'' पारित कर उसे मूल अधिकार (अनुच्छेद 21(ए)) की श्रेणी में रख दिया तथा 1 अप्रैल 2010 से लागू भी कर दिया। अब 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य रूप से शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है।

यह भी ज्ञात है कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् प्राथमिक शिक्षा के महत्व को समझते हुए सरकार के द्वारा अनेक प्रकार के प्रयास किये गये प्राप्त उपलब्धियाँ भी संतोषजनक रही, फिर भी अनुभव किया गया कि प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए अतिरिक्त प्रयासों एवं हस्तक्षेपों की आवश्यकता है। बच्चों को विद्यालयों में सार्वभौम नामांकन, ठहराव तथा उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने की दृष्टि से एक कल्याणकारी राज्य के रूप में केन्द्र तथा राज्य सरकारों ने समय–समय पर बच्चों के लिए विभिन्न प्रकार की शैक्षिक योजनाएं चलायी है जैसे सर्वशिक्षा अभियान, ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड, स्कूल चलो अभियान, मध्यान्ह भोजन योजना, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, छात्रवृत्तियां, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण इत्यादि।

मध्यान्ह भोजन योजना :–

प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों के नामांकन को बढ़ाने उन्हें बनाये रखने और पोषण स्तर को सुधारने के लिए वर्ष 1995 से भारत सरकार के द्वारा एक केन्द्र पुरोनिधानित योजना ''प्राथमिक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पोषाहार कार्यक्रम'' प्रारम्भ की गयी। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत दो वर्षों के भीतर सरकारी तथा सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों में पका पकाया भोजन की व्यवस्था की जानी थी। इस अंतरिम अवधि में राज्य सरकारों को यह छूट दे दी गयी थी कि वे पोषाहार के रूप में प्रति बच्चों को माह के अन्त में अन्न (3 किग्रा0 गेहूँ/चावल) वितरित करे। अध्ययनों से ज्ञात हुआ कि पोषाहार वितरण से विद्यालयों में बच्चों का नामांकन एवं ठहराव बढ़ा है। इसी क्रम में यह भी पाया गया कि जिन राज्यों यथा–तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश आदि में गर्म पकापकाया भोजन बच्चों को उपलब्ध कराया गया है। वहां नामांकन तथा ठहराव के साथ–साथ बच्चों की सम्प्राप्ति स्तर का भी संवर्धन हुआ है।

* एसोसिएट प्रोफेसर, शिक्षा संकाय, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी

यह भी उल्लेखनीय है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 28.11.2001 द्वारा उन राज्यों को जहां प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों को पका पकाया गर्म भोजन उपलब्ध कराना प्रारम्भ नहीं किया गया था वहां 6 माह के अन्दर बच्चों को पका पकाया गर्म भोजन देने का निर्देश दिया गया। इन राज्यों में बिहार, झारखण्ड तथा उत्तर प्रदेश आदि प्रमुख रूप से आते हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनः दिनांक 20.04.2004 के आदेश द्वारा इन राज्यों को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया कि वे दिनांक 01 सितम्बर 2004 से सभी बच्चों को अनिवार्य रूप से पका पकाया भोजन उपलब्ध करवाये। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश को मानते हुये प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों को पका पकाया भोजन मध्यान्ह भोजन योजना के रूप में दिया जाने लगा। इसमें सप्ताह में प्रत्येक दिन मीनू के अनुसार बदल–बदल कर भोजन बच्चों को दिया जाता है। शुरूआत में 56 रू0 प्रति छात्र प्रति माह की दर से कनवर्जन कास्ट दिया जाता था। 200 तक अध्ययनरत बच्चों की संख्या वाले प्राथमिक विद्यालयों में भोजन बनाने के लिए 4 रसोईयों की नियुक्ति का प्रबन्ध किया गया है।

शिक्षा विभाग के अधिकारियों के द्वारा इस योजना के दिशा निर्देशों, धनराशि, विद्यालयों से आख्या निरीक्षण, समस्याओं के समाधान सम्बन्धित कार्यों को किया जाता है।

ग्राम प्रधान द्वारा इस योजना के कार्यक्रम का क्रियान्वयन प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य के साथ उचित सहयोग द्वारा किया जाता है, समय से खाद्य सामग्री की आपूर्ति, शासन द्वारा निर्धारित मीनू के अनुसार भोजन पकवाना, भोजन को उचित मात्रा में देना, भोजन पकाने के लिए किचन शेड की व्यवस्था करना, महिला रसोईयों की नियुक्ति करना, आदि कार्य ग्राम प्रधान व प्रधानाचार्य के सहयोग से करता है।

मध्यान्ह भोजन योजना की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि :–

मध्यान्ह भोजन योजना के प्रगति में तमिलनाडु, देश का अग्रदूत राज्य है। राष्ट्रीय स्तर पर इसकी शुरूआत 1995 के काफी पहले ही तमिलनाडु राज्य में हो चुकी थी। उच्चतम न्यायालय के सलाहकार विराज पटनायक के अनुसार 1923 में ही यह योजना मद्रास (चेन्नई) में चल रही थी। विद्यार्थियों को पौष्टिक आहार प्रदान करने के लिए सर्वप्रथम स्वतन्त्र भारत में सन् 1961 में कुछ प्राथमिक विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन योजना कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया था, परन्तु यह कार्यक्रम विस्तृत एवं सतत् रूप से नहीं चल पाया।

प्राथमिक शिक्षा के सर्वव्यापीकरण को गति प्रदान करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा 15 अगस्त 1995 से पूरे देश मे मध्यान्ह भोजन योजना की शुरूआत की गयी। वर्तमान में यह कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों को प्रदान किया जाता है एवं देश के सभी जिलों में क्रियान्वित है।

उत्तर प्रदेश में मध्यान्ह भोजना योजना :–

केन्द्र सरकार द्वारा 15 अगस्त 1995 से पूरे देश में मध्यान्ह भोजन योजना चलायी जा रही है। उसी समय उत्तर प्रदेश के 36 जिलों में भी योजना का शुभारम्भ हुआ। किन्तु व्यापक रूप से इस योजना का आरम्भ माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 20.04.2004 के पश्चात् हुआ। न्यायालय के आदेश के पालन के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश शासन के पत्रांक 1429/79–6–04–1 (6)/2000 टी0 सी0–03 दिनांक 06 अगस्त 2004 द्वारा निर्देश दिया गया कि प्रदेश के समस्त प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों को पका पकाया भोजन उपलब्ध कराया जाये। उक्त निर्देश पर सम्यक् विचारोपरान्त गांधी जयन्ती (2 अक्टूबर, 2004) वर्तमान में यह योजना कक्षा 8 तक के लिए लागू की गयी है। वर्तमान समय में जुलाई 2016 से प्राथमिक में 4रू 13पैसा एवं उच्च प्राथमिक में 6रू 18पैसा प्रति छात्र प्रति दिन की दर से कनवर्जन कास्ट दिया जाता है।

मध्यान भोजन योजना को संचालित करने का उद्देश्य :–

केन्द्र सरकार द्वारा 15 अगस्त 1995 से मध्यान्ह भोजन योजना का प्रारम्भ किया गया। प्रारम्भ में इस योजना का उद्देश्य प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों की संख्या बढ़ाने तथा अधिक से अधिक बच्चों को शिक्षा से जोड़ना था। परन्तु बाद में इस योजना में कई उद्देश्य जुड़ गये जो प्राथमिक विद्यालयों के छात्रों तथा समाज से भी संबंधित है।

मध्यान्ह भोजन योजना को संचालित करने के पीछे निम्नलिखित उद्देश्य निहित हैं–

1. प्राथमिक शिक्षा का सर्वव्यापीकरण।
2. गरीब कमजोर परिवार के बच्चों को शिक्षा से जोड़ना।
3. प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों के पोषण स्तर में सुधार करना।
4. अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या को दूर करना।
5. विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या एवं ठहराव में वृद्धि कराना।
6. विद्यार्थियों में सहयोग, समानता, सामाजिकता तथा आत्म–अनुशासन का विकास करना।

समस्या कथन :–

''जनपद अम्बेडकर नगर के प्राथमिक विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन योजना के प्रति विभिन्न वर्ग के शिक्षकों एवं अभिभावकों की अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन।''

समस्या का औचित्य एवं महत्व :–

किसी नीति के मात्र सही होने से निर्धारित परिणाम प्राप्त नहीं हो जाते। इसके लिए आवश्यक है कि नीति के प्रति लोगों की नियत भी सही हो। यह कथन मध्यान्ह भोजन योजना के उपर पूर्णरूपेण लागू होता है क्योंकि यह योजना वर्तमान समय में पूरे उत्तर प्रदेश के साथ सम्पूर्ण भारत के प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन बढ़ाने उन्हें बनाये रखने और बच्चों के पोषण स्तर का सुधारने के लिए चलायी जा रही है इस वृहद योजना से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुये विभिन्न वर्ग के शिक्षकों एवं योजना से अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए विभिन्न वर्ग के विद्यार्थियों के अभिभावकों का दृष्टिकोण कुछ स्थानों पर एक सा नहीं दिखाई पड़ता है। प्रत्येक कार्य का कोई न कोई महत्व होता है। जब कोई अनुसंधान किया जाता है तो इस अनुसंधान की उपादेयता तथा उपयोगिता का सार्थक महत्व सिद्ध करना आवश्यक हो जाता है कि अनुसंधान के परिणाम संबंधित समस्या को किस प्रकार प्रभावित करेंगे। अनुसंधान को आँकते समय इसका ध्यान रखना पड़ता है कि जांच एवं परिणाम के बाद निकलने वाले निष्कर्षों से संबंधित समस्या को समाप्त करने में कितनी मदद मिलेगी।

आज की वर्तमान परिस्थितियों में मध्यान्ह भोजन योजना के सम्बन्ध में शिक्षकों एवं अभिभावकों का दृष्टिकोण सर्वत्र एक समान नहीं दिखाई पड़ता है जिससे मध्यान्ह भोजन योजना के क्रियान्वयन में कठिनाई हो रही है इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि मध्यान्ह भोजन योजना से प्रत्यक्ष एवं अपरोक्ष रूप से जुड़े हुए शिक्षकों एवं अभिभावकों की योजना के प्रति अभिवृत्ति के विषय में अनुसंधान किया जाए और ऐसे उपाय सुझाये जाए कि उनका दृष्टिकोण योजना के प्रति सकारात्मक हो सके।

शोध के उद्देश्य :–

1. जनपद अम्बेडकर नगर में मध्यान्ह भोजन योजना के प्रति विभिन्न वर्ग के शिक्षकों की अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन करना।
2. जनपदक अम्बेडकर नगर में मध्यान्ह भोजन योजना के प्रति विभिन्न वर्गों के अभिभावकों की अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन करना।

परिकल्पनाएं :–

1. जनपद अम्बेडकर नगर के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों के विभिन्न वर्गों के शिक्षकों की मध्यान्ह भोजन योजना के प्रति अभिवृत्ति में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।
2. जनपद अम्बेडकर नगर के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों के विभिन्न वर्ग के विद्यार्थियों के अभिभावकों की मध्यान्ह भोजन योजना के प्रति अभिवृत्ति में कोई सार्थक अन्तर नहीं हैं।

शोध अभिकल्प :–

शोध विधि – प्रस्तुत अध्ययन में सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है।

जनसंख्या – प्रस्तुत अध्ययन में उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर के प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों तथा उन विद्यालयों में पढ़ रहे विद्यार्थियों के अभिभावकों को जनसंख्या के रूप में परिभाषित किया गया है।

न्यादर्श एवं न्यादर्शन तकनीकी :–

न्यादर्शन के रूप में अम्बेडकर नगर जनपद के जलालपुर ब्लाक से 50 विद्यालयों के विभिन्न वर्गो के 100 शिक्षकों तथा इन विद्यालयों में अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों के 100 अभिभावकों को चयनित किया गया है। इसके लिए सरल यादृच्छिक न्यादर्शन तकनीकी को प्रयोग में लाया गया है।

प्रयुक्त उपकरण :–

शिक्षक अभिवृत्ति मापनी – स्वनिर्मित

अभिभावक अभिवृत्ति मापनी – स्वनिर्मित

प्रयुक्त सांख्यिकीय तकनीकी :– प्राप्त ऑकड़ों को विश्लेषित करने के लिए मध्यमान, मानक त्रुटि एवं एफ–अनुपात का प्रयोग किया गया है।

ऑकड़ों का विश्लेषण :–

प्रथम उद्देश्य के अनुसार ऑकड़ों का विश्लेषण :–

शोधकर्ता का प्रथम उद्देश्य जनपद अम्बेडकर में मध्यान्ह भोजन योजना के प्रति विभिन्न वर्गो के शिक्षकों की अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन करना था। इस उद्देश्य के लिए शोधकर्ता द्वारा निम्नलिखित शून्य परिकल्पना का निर्माण किया गया कि मध्यान्ह भोजन योजना के प्रति विभिन्न वर्गों के शिक्षकों की अभिवृत्ति में कोई सार्थक अन्तर नहीं है। इसकी जांच के लिए प्रसरण विश्लेषण विधि का उपयोग किया गया।

प्रसरण विश्लेषण के द्वारा विभिन्न वर्ग के शिक्षकों के समूहों के मध्य व्याप्त अन्तरों की सार्थकता की जांच :–

शिक्षकों के तीन वर्गों को तीन समूहों में बांटकर प्रत्येक समूह से यादृच्छिक विधि से 10–10 शिक्षकों के प्राप्तांकों का चयन करके प्रसरण विश्लेषण के द्वारा सार्थकता की जांच की गयी, प्राप्त परिणाम तालिका में प्रस्तुत है।

तालिका नं0 –1

प्रसरण का स्रोत	स्वतन्त्रता के अंश	वर्गो का योग	मध्यमान का वर्ग	एफ
Between Groups	2	46.7	23.35	
Within Groups	27	18.10	67.04	0.348
df = 2, 27				

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि प्रसरण विश्लेषण में F अनुपात का मान 0.348 प्राप्त हुआ है। F अनुपात के मान की तालिका में सम्बन्धित स्वतंत्रता के अशों (df) के आधार पर देखने पर 0.05 स्तर पर सार्थकता का मान 3.35 दिया गया है। प्रस्तुत परीक्षण में F का मान ऊपर दिये गये 0.05 स्तर के मान मे कम है। अतः F का मान सार्थक नहीं है। इसलिए शून्य परिकल्पना स्वीकृत की जाती है। इससे स्पष्ट है कि तीनों वर्गों के शिक्षकों की मध्यान्ह भोजन योजना के प्रति अभिवृत्ति में कोई सार्थक अन्तर नहीं है। इसका कारण संभवतः यह है कि परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत विभिन्न वर्ग के शिक्षक मध्यान्ह भोजन योजना के प्रति जागरूक हैं।

द्वितीय उद्देश्य के अनुसार ऑकड़ों का विश्लेषण :–

प्रसरण विश्लेषण के द्वारा सार्थकता की जांच की गयी। प्राप्त परिणाम तालिका में प्रस्तुत है।

तालिका नं0 –2

प्रसरण का स्रोत	स्वतन्त्रता के अंश	वर्गो का योग	मध्यमान का वर्ग	एफ
Between Groups	2	206.99	103.50	1.64
Within Groups	27	1708	63.26	
df = 2, 27				

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि प्रसरण विश्लेषण में F अनुपात का मान 1.64 प्राप्त हुआ है। सम्बन्धित स्वतन्त्रता के अंशो (df) के आधार पर F अनुपात के मान की तालिका में देखने पर 0.05 स्तर पर सार्थकता का मान 3.35 दिया गया है। प्रस्तुत परीक्षण में F का मान उपर दिये गये 0.05 स्तर के मान से कम है। अतः F का मान सार्थक नहीं है। इसलि शून्य परिकल्पना स्वीकृत की जाती है। इससे स्पष्ट है कि तीनों वर्गों के अभिभावकों की मध्यान्ह भोजन योजना के प्रति अभिवृत्ति में कोई सार्थक अन्तर नहीं है। इसका कारण संभवतः यह है कि वर्तमान समय में प्राथमिक विद्यालयों में उन्हीं अभिभावकों के बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं, जो गरीब है अथवा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं। उनके बच्चे विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने के साथ–साथ भोजन भी प्राप्त करते हैं। इससे अभिभावकों पर आर्थिक बोझ कम पड़ता है। इसके साथ ही मध्यान्ह भोजन योजना के चलते हुये एक लम्बा समय व्यतीत हो चुका है तथा उसका पर्याप्त प्रसार भी हुआ है। प्रत्येक विद्यालय में भोजन का मीनू चार्ट बना हुआ है तथा सरकार द्वारा योजना पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही सभी वर्गो के अभिभावक अपने बच्चों के पोषण के प्रति जागरूक है जिसके कारण तीनों वर्गों के अभिभावक मध्यान्ह भोजन योजना के प्रति एक समान अभिवृद्धि रखते है।

शैक्षिक महत्व :–

प्रस्तुत अध्ययन प्राथमिक विद्यालयों में चलायी जा रही मध्यान्ह भोजन योजना से सम्बन्धित है। अतः इस शोध से प्राप्त परिणामों का शैक्षिक दृष्टि से अत्यधिक महत्व है। प्राथमिक शिक्षा समग्र शिक्षा व्यवस्था का आधार है। सभी लोग शिक्षा प्राप्त करे, इसके लिए केन्द्र तथा राज्य सरकारों के द्वारा समय–समय पर अनेकों योजनाएं चलायी जाती रही है। विद्यालयों में बच्चों नामांकन एवं ठहराव में वृद्धि उनके पोषण स्तर में सुधार के लिए मध्यान्ह भोजन योजना चलायी जा रही है। शोधकार्य से ज्ञात हुआ कि योजना के संचालन में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है तथा योजना बच्चों एवं उनके अभिभावकों को प्रभावित करती है। यह भी ज्ञात हुआ कि योजना से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुये विभिन्न वर्ग के शिक्षक तथा अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुये विभिन्न वर्ग के अभिभावकों का दृष्टिकोण योजना के प्रति

सकारात्मक रहा है। अतः ऐसे में आवश्यकता है कि प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए इस योजना का क्रियान्वयन और प्रभावी ढंग से किया जाये जिससे और प्रभावी परिणाम प्राप्त हो सके। शोध से प्राप्त परिणाम से ज्ञात हुआ कि विद्यालयों में नियुक्त विभिन्न वर्ग के शिक्षक एवं विद्यालयों में अध्ययनरत विभिन्न वर्ग के विद्यार्थियों के अभिभावकों में सामाजिक विषमता की भावना देखने में नहीं आयी। शैक्षिक समानता की दृष्टि से इसका बड़ा महत्व है।

शोध से प्राप्त परिणाम हमारे परिवेश में शिक्षा एवं शिक्षा तंत्र की बुनियाद को मजबूत करेगा। जिसके दूरगामी परिणाम हमें और हमारे समाज अन्ततोगत्वा सम्पूर्ण प्रदेश एवं देश को मजबूत करेगा।

सन्दर्भ :

1. अग्निहोत्री, रवीन्द्र, ''भारतीय शिक्षाक की समस्यायें'' रिसर्च पब्लिकेशंस, जयपुर, पृ0 106 (1988)
2. कपिल, एच0 के0, ''साख्यिकी के मूल तत्व'' विनोद प्रकाशन मंदिर, आगरा, 1992
3. गुप्ता, एस0 पी0, ''आधुनिक मापन तथा मूल्यांकन'' शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद, 1996
4. बुच, एम0 बी0 : चतुर्थ सर्वे ऑफ रिसर्च इन एजुकेशनल, वाल्यूम–2, नई दिल्ली : एन0 सी0 ई0 आर0 टी0, 1983–88
5. राय पारसनाथ ''अनुसंधान परिचय'' आगरा प्रकाशन, 1999
6. सीतारमन, श्रीधर– ''स्कूल जाने वाले बच्चों के पोषण स्तर पर मध्यान्ह पोषाहार योजना का प्रभाव''
7. सीमैट, ''आन्ध्र प्रदेश के चित्तूर जनपद में मध्यान्ह भोजन योजना का एक संक्षिप्त अध्ययन, उ0प्र0, इलाहाबाद, 27.08.2004
8. सीमैट, अभिनव अंक तीसवां, उ0प्र0 इलाहाबाद त्रैमासिक मई–जुलाई 2004
9. सीमैट, उ0प्र0 में मध्यान्ह भोजन व्यवस्था : एक स्थलीय अध्ययन, उ0प्र0 इलाहाबाद, जनवरी 2005
10. शासनादेश संख्या–1429/79–6–04 (6)/ 200 टी0 सी0–3
11. शर्मा आर0 ए0– शिक्षा अनुसंधान मेरठ, आर0 एल0 बुक डिपो।

●